न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 522/2023 29.12.23

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण	बनाम	महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/2023/1711 दिनांक 11.10.2023 द्वारा स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू—अभिलेख नियम 1956 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू—अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ठ 'अ' में अंकित बरंग लाल से दर्शित एवं सहायक महाप्रबन्धक एवं क्षेत्र प्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड का पत्र दिनांक 30.08.2023 व 18.09.2023 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सासियों की बस्ती पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर में जिप्सम हाल्ट हरसाणी फांटा सड़क से आईमाता मन्दिर तक एफसीआई की जमीन खसरा संख्या 875/857 में खातेदार महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड की सहमति से यह रास्ता मौके पर खुला हुआ है एवं डामर सड़क निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 02.04 बीघा है, जो मौके पर रास्ता चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। साथ ही तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण एवं सहायक महाप्रबन्धक एवं क्षेत्र प्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड का पत्र दिनांक 30.08.2023 व 18.09.2023 में उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल — बान्दरा **तहसील — बाडमेर ग्रामीण**

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी			
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1		1711/11.10.2023	सासियों की बस्ती	875/857	56.7368	बा.दो.	875/857	0.3561	गै.मु. रास्ता

नोट :— तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर